

The Rules of the Road Regulations, 1989

सड़क के नियम विनियम, 1989

SO 439 (E), dated 12-June 1989.—In exercise of the powers conferred by Section 118 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following Regulations for the driving of motor vehicles, namely :—

एस.ओ. 439 (ई) दिनांक 12 जून, 1989. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 118 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मोटर यानों के चालन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्—

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Rules of the Road Regulations, 1989.

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ — (1) ये विनियम “सड़क के नियम विनियम, 1989” कहलायेंगे।

(2) They shall come into force on the *First day of July, 1989.*

(2) ये जुलाई, 1989 के प्रथम दिवस के प्रभावशील होंगे।

2. Keep left.—The driver of a motor vehicle shall drive the vehicle as close to the left-hand side of the road as may be expedient and shall allow all traffic which is proceeding in the opposite direction to pass on his right-hand side.

बायें चलना (Keep Left) . मोटर यानों के चालक (ड्राईवर) यान को सड़क के बायें हाथ की ओर इतना सटकर चलायेंगे, जितना सभीचीन (उचित) हो सके और वे सम्पूर्ण यातायात को जो कि विपरीत दिशा में जा रहा है, अपने दायें हाथ की ओर से गुजरने (जाने) देंगे।

3. Turning to left and right.—the driver of a motor vehicle shall,—

बायें और दायें मुड़ना — मोटर यान का चालक —

(a)when turning to the left, drive as close as may be to the left-hand side of the road from which he is making the turn and of the road which he is entering;

(क) जब वह बायें ओर मुड़ रहा हो, तो वह उस सड़क के जिससे वह मोड़ ले रहा है और सड़क जिसमे वह प्रवेश कर रहा है, के बायें हाथ की ओर (साइड) को जितना सटकर (नजदीक) रह सके, मोटर यान चलायेगा।

(b)when turning to the right draw as near as may be to the centre of the road along which he is travelling and arrive as near as may be at the left-hand of the road which the driver is entering.

(ख) जब वह दार्यों ओर मुड़ रहा हो, तो वह जितना नजदीक हो सके उतना उस सड़क के बीच में रहेगा। जिसके साथ वह चल रहा है और जिस सड़क में वह प्रवेश कर रहा है, उसके बायें हाथ की ओर जितना नजदीक गुजर सके उधर पहुँचेगा।

4. **Passing to the right.**— Except as provided in Regulation 5, the driver of a motor vehicle shall pass to the right of all traffic proceeding in the same direction as himself

दार्यों ओर से पार करना (Passing to the right) - जैसा कि विनियम 5 में दिया गया है उसके अलावा, मोटर यान का चालक जिस दिशा में वह स्वयं जा रहा है, उसी दिशा में जा रहे सारे यातायात के दार्यों ओर से आगे पार कर सकेगा।

5. **Passing to the left.**—The driver of a motor vehicle may pass to the left of a vehicle the driver of which having indicated an intention to turn to the right has drawn to the centre of the road and may pass on either side, a tram car or other vehicle running on fixed rails whether travelling in the same direction as himself or otherwise -provided that in no case shall he pass a tram car at a time or in a manner likely to cause danger or inconvenience to other users of the road including persons leaving or about to enter tram cars.

बायें पार करना (Passing to the left) - मोटर यान का चालक किसी यान के बायों ओर से पार कर (गुजर) सकता है, जबकि उसका चालक दार्यों ओर मुड़ने के इरादे का संकेत देने के बाद सड़क के बीच की ओर चला गया है और एक ट्राम—कार या अन्य यान को, जो रिस्थिर लोहे की पटरियों पर चलती है, चाहे उसी दिशा में जिसमें वह जा रहा है या अन्यथा, किसी भी ओर से पार कर सकता है, परन्तु यह है कि किसी भी दशा में ट्राम—कार को ऐसे समय पर या ऐसे तरीके से पार नहीं किया जाएगा जिससे सड़क का अन्य उपयोग करने वाले व्यक्तियों को, जिनमें ट्राम कार से उतरने व चढ़ने वाले सम्मिलित हैं, खतरा या असुविधा कारित होने की सम्भावना हो।

6. **Overtaking prohibited in certain cases.**—The driver of a motor vehicle shall not pass a vehicle travelling in the same direction as himself,—
ओवरटेकिंग निषेध — मोटर यान का चालक उसी दिशा में जा रहे किसी यान को जिस दिशा में वह स्वयं जा रहा है, पार नहीं करेगा :

(a) if his passing is likely to cause inconvenience or danger to other traffic proceeding in any direction;

(क) यदि उसके पार करने से, उसी दिशा में जा रहे अन्य यातायात के लिए असुविधा या खतरा होने की सम्भावना हो,

(b) if he is near a point, a bend or corner or a hill or other obstruction of any kind that renders the road ahead not clearly visible;

(ख) यदि वह ऐसे स्थान, कोने के मोड़ या पहाड़ी या अन्य प्रकार की किसी रुकावट के पास है जिससे आगे की सड़क को साफ नहीं देखा जा सकता।

(c) if he knows that the driver who is following him has begun to overtake him
(ग) यदि वह यह जानता हो कि चालक जो उसके पीछे आ रहा है, उसे पार करने वाला है,
(d) if the driver ahead of him has not signalled that he may be overtaken.
(घ) यदि उसके आगे चलने वाले चालक ने ऐसा संकेत नहीं दिया है कि उसे पार किया जा सकता है।

7. **Overtaking not to be obstructed.**-The driver of a motor vehicle shall not, when being overtaken or being passed by another vehicle, increase speed or do anything in any way to prevent the other vehicle from passing him.

पार करने (ओवरटेकिंग) में रुकावट नहीं - जब मोटर यान के किसी चालक को दूसरे यान द्वारा पार किया जाता है, तो वह चालक गति नहीं बढ़ायेगा या किसी भी प्रकार से ऐसी हरकत (कार्य) नहीं करेगा जिससे दूसरे यान को पार करने में कोई रुकावट आये।

8. **Caution at road junction.**-The driver of a motor vehicle shall slow down when approaching a road intersection, a road junction, pedestrian crossing or a road corner, and shall not enter any such intersection, junction or crossing until he has become aware that he may do so without endangering the safety of persons thereon.

सड़क के जंक्शन (चौराहे/तिराहे) पर सावधानी - मोटर यान का चालक जब सड़क के इन्टर सेक्शन, सड़क जंक्शन, पैदल लोगों के सड़क पार करने के स्थान या सड़क के कोने पर पहुँचता है, तो वह धीरे चलेगा और वह ऐसे इन्टर-सेक्शन, जंक्शन या क्रासिंग में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक वह इतना सचेत न हो जाये कि वह वहां लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना ऐसा कर सकता है।

9. **Giving way to traffic at road junction.**-The driver of a motor vehicle shall, on entering a road intersection, at which traffic is not being regulated, if the road entered is a main road designated as such, give way to the vehicles proceeding along that road, any in any other case give way to all traffic approaching the intersection on his right hand.

सड़क-जंक्शन पर यातायात को रास्ता देना - मोटर यान का चालक किसी सड़क के इन्टर-सेक्शन (तिराहे/चौराहे) में, जहां यातायात को विनियमित नहीं किया जा रहा हो, प्रवेश करते समय यदि प्रवेश की जाने वाली सड़क मुख्य-सड़क के रूप में नामित (डिजिग्नेटेड) है, तो उस सड़क पर जा रहे यानों को रास्ता देगा और अन्य किसी दशा में अपने दायें हाथ की ओर से इन्टर-सेक्शन में आ रहे सारे यातायात को रास्ता देगा।

10. **Fire service vehicles and ambulance to be given free passage.**-Every driver shall on the approach of a fire service vehicle or of an ambulance allow it free passage by drawing to the side of the road.

अग्नि सेवा यानों (फायर ब्रिगेड) और एम्बुलेंस (रोगी वाहन) को खुला रास्ता दिया जायेगा- प्रत्येक चालक किसी अग्नि सेवा यान या एम्बुलेंस के आने पर सड़क के एक ओर हटकर उसको खुला रास्ता देगा।

11 **Right of way.** - The pedestrians have the right of way at uncontrolled pedestrian crossings. When any road is provided with footpath or cycle tracks specially for other traffic except with permission 'of a police officer in uniform a driver shall not drive on such footpath or track.

मार्गाधिकार (Right of way) . पैदल चलने वालों को अनियन्त्रित पार—गमन (पैदल पार करने के स्थान या क्रासिंग) पर मार्ग पर चलने का अधिकार है । जहां किसी सड़क के साथ पग—डण्डी (फुटपाथ) या साइकिल का रास्ता विशेष रूप से अन्य यातायात के लिए दिया गया है, तो वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी की अनुमति के बिना, चालक ऐसे फुटपाथ या रास्ते पर गाड़ी नहीं चलायेगा ।

12. **Taking 'U' turn**-No driver shall take a 'U' turn where 'U' turn is specially prohibited and on busy traffic road. If a 'U' turn is allowed the driver shall show signal by hand as for a right turn, watch in the rear view mirror and turn when safe to do so.

"यू" मोड़ लेना – कोई चालक उस स्थान पर जहां "U" मोड़ लेना विशेष रूप से मना है और व्यस्त यातायात वाली सड़क पर "U" मोड़ नहीं लेगा । यदि "U" मोड़ की अनुमति है, तो चालक दार्थी और मुड़ने के लिए हाथ से संकेत प्रदर्शित करेगा, पीछे के दृश्य का देखने के कांच में ध्यान रखेगा और जब मुड़ना सुरक्षित हो, मुड़ेगा ।

13. **Signals to be given by drivers**-The following signals shall be used by the drivers of all motor vehicles, namely:-

चालकों द्वारा दिये जाने वाले संकेत (सिग्नल) – सभी मोटर यानों के चालकों द्वारा निम्न संकेतों का प्रयोग किया जायेगा, अर्थात्—

(a) When about to slow down, a driver shall extend his right arm with the palm downward and to the right of the vehicle and shall move the arm so extended up and down several times in such a manner that the signal can be seen by the driver of any vehicle who may be behind him.

(क) जब गति धीमी करनी हो, तो चालक अपनी दार्थी भुजा की हथेली नीचे की ओर रखते हुए यान के दार्थी और फैलायेगा और (फिर) भुजा को ऊपर—नीचे कई बार इस तरीके से हिलायेगा कि उस संकेत को उसके पीछे आने वाले किसी यान के चालक द्वारा देखा जा सके ।

(b) When about to stop, a driver shall raise his right forearm vertically outside of and to the right of the vehicle, palm to the right.

(ख) जब टहरना (रुकना) हो, तो चालक अपना दायां अग्र बाहु (हाथ) सीधा बाहर की ओर यान के दार्थी और खड़ा करेगा, और हथेली सामने की ओर रहेगी ।

(c) When about to turn to the right or to drive to the right-hand side of the road in order to pass another vehicle or for any other purpose, a driver shall extend his right arm in a horizontal position outside of and to the right of his vehicle with the palm of the hand turned to the front.

(ग) जब दायीं ओर मुड़ना हो, या सड़क के दायें हाथ की ओर दूसरे यान को पार करने के लिए चलना हो या कोई अन्य प्रयोजन हो, तो चालक अपनी दायीं मुजा को सीधी (धरती के समानान्तर) बाहर की ओर और अपने यान के दायीं ओर फैलायेगा, और उसकी हथेली सामने की ओर मुड़ी रहेगी।

(d) When about to turn to the left or to drive to the left-hand side of the road, a driver shall extend his right arm and rotate it in an anticlockwise direction.

(घ) जब बायीं ओर मुड़ना हो, या सड़क के बायें हाथ ही ओर चलना हो, तो चालक अपनी दायीं मुजा फैलायेगा और उसे घड़ी की उल्टी चाल की दिशा में घुमायेगा।

(e) When a driver wishes to indicate to the driver of a vehicle behind him that he desires that driver to overtake him he shall extend his right arm and hand horizontally outside of and to the right-of the vehicle and shall swing the arm backward and forward in a semicircular motion.

(ड.) जब चालक अपने पीछे के यान के चालक को यह बताना चाहता है कि वह चालक उसे पार (ओवर टेक) कर सकता है, तो वह अपनी दायीं मुजा और हाथ को सीधा बाहर की तरफ अपने यान के दायीं ओर फैलायेगा और उस मुजा को आगे पीछे एक अर्द्ध-गोलाकर गति के रूप में हिलायेगा।

14. Direction indicator.-The signals referred to in Regulation 12, may be simplified also by mechanical or electrical devices.

दिशा निर्देशक (Direction indicators) - विनियम 12 में बताये गये संकेतों को यांत्रिक या विद्युत यन्त्रों द्वारा भी सरल किया जा सकता है। (यानि दिया जा सकता है)

15. Parking of the vehicle.-(I) Every driver of a motor vehicle parking on any road shall park in such a way that it does not cause or is not likely to cause danger, obstruction or undue inconvenience to other road users and if the manner of parking is indicated by any signboard or markings on the road side, he shall park his vehicle in such manner.

यान को खड़ा करना (पार्किंग) – (1) मोटर यान का प्रत्येक चालक जो किसी सड़क पर यान को खड़ा करता है, उसे इस प्रकार खड़ा करेगा कि उससे सड़क का अन्य उपयोग करने वालों को कोई खतरा, सम्मानित खतरा, अङ्गचन या अनावश्यक असुविधा कारित न हो और यदि यान खड़ा करने के तरीके को किसी साइन बोर्ड या सड़क की साइड पर निशान (मार्किंग) लगाकर बताया गया हो, तो वह अपने यान को ऐसे तरीके से खड़ा करेगा।

(2) A driver of a motor vehicle shall not park his vehicle,-

मोटर यान का कोई चालक अपने यान को (निम्न प्रकार से) खड़ा (पार्क) नहीं करेगा—

(i) at or near a road crossing, a bend, top of a hill or a humpbacked bridge; किसी सड़क के क्रासिंग, मोड़, पहाड़ी की चोटी, या किसी हम्पबैकड़ पुल पर या उसके पास,

- (ii) on a footpath;
फुटपाथ पर,
- (iii) near a traffic light or pedestrian crossing;
यातायात की लाइट या पैदल-क्रासिंग (पार-गमन) के पास,
- (iv) on a main road or one carrying fast traffic;
किसी मुख्य सड़क या तेज यातायात वाली सड़क पर,
- (v) opposite another parked vehicle or as obstruction to other vehicles
किसी खड़े दूसरे यान के विपरीत या किसी दूसरे यान को अड़चन के रूप में,
- (vi) along side another parked vehicle;
दूसरे खड़े यान के साथ,
- (vii) on roads or at places or roads where there is a continuous white line with or without a broken line;
सड़कों पर या सड़कों पर ऐसे स्थानों पर जहां लगातार सफेद लाइन है जिसके साथ टूटी लाइन है या नहीं,
- (viii) near a bus stop, school or hospital entrance or blocking a traffic sign or entrance to a premises or a fire hydrant;
किसी बस स्टॉप, स्कूल, अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास या किसी यातायात चिन्ह या किसी परिसर (स्थान) के प्रवेश को या आग बुझाने के बन्धे (फायर हाइड्रेन्ट) को रोकते (या ढकते) हुए,
- (ix) on the wrong side of the road;
सड़क की गलत साइड पर,
- (x) where parking is prohibited;
जहां यान खड़े करने (पार्किंग) का निषेध (मनाई) है,
- (xi) away from the edge of the footpath.
फुटपाथ के किनारे से दूरा

16. Visibility of lamps and registration marks.-(1) No load or other goods shall be placed on any motor vehicle so as to mask or otherwise interrupt vision of any lamp, registration mark or other mark required to be carried by or exhibited on any motor vehicle by or under the Act, unless a duplicate of the lamp or mark so marked or otherwise obscured is exhibited in the manner required by or under the Act for the exhibition of the marked or obscured lamp or mark.

प्रकाश दीपों (लैम्प) और रजिस्ट्रीकरण-चिन्हों का दिखाई देना - (1) कोई बोझा (भार) या अन्य माल (सामान) किसी मोटर यान पर इस प्रकार नहीं रखा जायेगा, जिससे किसी लैम्प, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह या अन्य चिन्ह, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी मोटर यान पर ले जाना या प्रदर्शित करना चाहा गया है, ढक दिया जाये या अन्य प्रकार से द्वृष्टि से ओङ्कार कर दिया जाए, जब तक कि उस लैम्प या लगाये गये चिन्ह या अन्यथा छिप गये (चिन्ह) के (डुल्सीकेट) को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस चिन्हित या छिपे हुए लैम्प या चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए चाहे गये तरीके से प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता।

(2) All registration and other marks required to be exhibited on a motor vehicle by or under the Act shall at all times be maintained in a clear and legible condition.

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किसी मोटर यान पर प्रदर्शित करना चाहे गये सब रजिस्ट्रीकरण और अन्य चिन्हों को सदा (सब समयों पर) स्पष्ट दिखायी देने वाली दशा में रखा जायेगा।

17. One-way traffic — A driver shall not,-

एक तरफा यातायात (वन-वे ट्रेफिक) - एक चालक

(i) drive a motor vehicle on roads declared 'One Way,' except in the direction specified by signboards;

(i) उन सड़कों पर, जिनको “एक तरफा मार्ग (वन-वे)” घोषित किया गया है, साइन बोर्डों पर बतायी गयी दिशा के अलावा मोटर यान नहीं चलायेगा,

(ii) drive a vehicle in a reverse direction into a road designed 'One Way'.

(ii) “एक तरफा” कही गयी सड़क पर उलटी दिशा में यान को नहीं चलाएगा।

18. Driving on channelised roads (lane traffic) - (1) Where any road is marked by lanes for movement of traffic the driver of a motor vehicle shall drive within the lane and change the lane only after giving proper signal.

गलीदार सड़कों (चैनेलाइज्ड रोड्स) पर यान चलाना (लेन यातायात) - (1) जहां किसी सड़क को यातायात के चलाने के लिए गलियों (लेन्स) में चिन्हित किया गया है, वहां मोटर यान का चालक उस गली (लेन) के भीतर गाड़ी को चलायेगा और उचित संकेत देने के बाद ही गली को बदलेगा।

(2) Where any road is marked by a yellow line dividing road, the vehicle proceeding in the same direction trying to overtake each other shall not cross the yellow line.

(2) जहां किसी सड़क को पीली-रेखा द्वारा विभाजित करते हुए चिन्हित किया गया है, वहां समान दिशा में जाने वाला यान एक-दूसरे को पार करने (ओवरटेक करने) की कोशिश करते हुए पीली-रेखा को पार (क्रास) नहीं करेगा।

19. Stop sign on road surfaced - (1) When any line is painted on or inlaid into the surface of any road at the approach to the road junction or to a pedestrian crossing or otherwise, no driver shall drive a motor vehicle so that any part thereof projects beyond that line at any time when a signal to stop is being given by a Police Officer or by means of a traffic control light or by the display of any traffic sign.

सड़क के तल पर ठहरने का चिन्ह—(1) जहां किसी सड़क—जंक्शन पर पहुँचने पर या पैदल यात्रियों के पार—गमन (क्रासिंग) पर या अन्यथा सड़क के तल पर कोई रेखा खींची या बनाई गई है, तो कोई चालक अपने मोटर यान को इस प्रकार नहीं चालायेगा कि जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा या यातायात नियंत्रण प्रकाश (लाइटो) द्वारा या किसी यातायात चिन्ह के प्रदर्शन द्वारा ठहरने (रुकने) का संकेत दिया जाये तो उस मोटर यान का कोई भाग उस रेखा के आगे निकल जाये।

(2) A line for the purpose of this Regulation shall be not less than 50 millimeters in width at any part and may be either in white, black or yellow.

(2) इस विनियम के प्रयोजन के लिए कोई रेखा (लाइन) 50 मिलीमीटर से कम चौड़ाई की किसी भी भाग पर नहीं होगी और ऐसी रेखा सफेद, काली या पीली हो सकेगी।

20. **Towing**—(1) No vehicle other than a mechanically disabled motor vehicle or incompletely assembled motor vehicle, a registered trailer or a side car, shall be drawn or towed by any motor vehicle, except for purposes of delivery and to the nearest filling station or garage.

(1) अनुकर्षण (खेंचकर या ढोकर ले जाना) (Towing) - (1) मशीन की खराबी के कारण अपंग हुए मोटर यान या अधूरे तैयार किए गए मोटर यान, एक रजिस्ट्रीकृत ट्रेलर (ट्राली) या साइड-कार के अलावा किसी यान को, सिवाय उस (यान) को सौंपने (डिलीवरी करने) के प्रयोजन के लिए और निकटतम फिलिंग स्टेशन या गैरेज पर ले जाने के लिए, किसी दूसरे यान से न तो खेंचा जायेगा और न ढोया जायेगा।

(2) No motor vehicle shall be drawn or towed by any other motor vehicle unless there is in the driver's seat of the motor vehicle being drawn or towed a person holding a licence authorising him to drive the vehicle or unless the steering wheels of the motor vehicle being towed, are firmly and securely supported clear of the road surface by some crane or other device on the vehicle which is drawing or towing it.

(2) किसी मोटर यान को किसी दूसरे मोटर यान द्वारा खेंचकर नहीं ढोया जायेगा, जब कि किसी चेंचे जाने या ढोये जाने वाले मोटर यान के चालक के स्थान (सीट) पर यान को चलाने के लिए प्राधिकृत करने वाले लाइसेंस का धारक कोई व्यक्ति न हो या ढोये जाने वाले मोटर यान के स्ट्रीयरिंग पहिये किसी क्रेन या अन्य युक्ति से खेंचने या ढोने वाले यान पर सड़क के तल से दृढ़ता से और मजबूती से स्पष्ट ऊपर न कर दिये गये हों।

(3) When a motor vehicle is being towed by another motor vehicle, the clear distance between the rear of the front vehicle and the front of the rear vehicle shall at no time exceed five meters. The two ropes, or chains shall be of a type easily distinguishable by other road users and there shall be clearly displayed on the rear of the vehicle being towed in black letters not less than seventy-five millimeters high and on a white background the word 'ON TOW'.

(3) जब कोई मोटर यान किसी दूसरे मोटर यान द्वारा ढोया (Towed) जा रहा हो, तो आगे के यान की पीठ और पीछे के यान के अगले हिस्से के बीच की स्पष्ट दूरी किसी भी समय पांच मीटर से अधिक नहीं होगी। खेंचने वाली रस्सियां या जंजीरें इस प्रकार की होंगी, जिनको दूसरे सड़क का उपयोग करने वाले आसानी से भिन्न कर सकें (पहचान सकें) और ढोये (खेंचे) जा रहे यान की पीठ पर (पीछे) काले अक्षरों में जो पचहत्तर मिलीमीटर ऊंचे से कम नहीं होंगे, सफेद पृष्ठ भूमि पर शब्द "ON TOW" स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) No motor vehicle when towing another vehicle other than a trailer or side car shall be driven at a speed exceeding twenty-four kilometers per hour.

(4) कोई मोटर यान जब वह किसी दूसरे यान को, जो ट्रेलर (ट्राली) या साइडकार के अलावा हो, (पीछे लगाकर) ढो रहा हो, तो वह चौबीस किलोमीटर प्रतिघण्टा से अधिक गति (चाल) से नहीं चलाया जायेगा।

21. Use of the horns and Silence Zones. -A driver of a vehicle shall not, भोंपू (हार्न) का प्रयोग और शान्ति क्षेत्र – किसी यान का कोई चालक –

- (i) sound the horn needlessly or continuously or more than necessary to ensure safety;
- (i) बिना आवश्यकता के या लगातार या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक भोंपू को नहीं बजायेगा,
- (ii) sound the horn in silence zones
- (ii) शान्ति क्षेत्रों (साइलेन्स जॉन्स) में भोंपू नहीं बजायेगा,
- (iii) make use of a cut-out by which exhaust gases are released other than through the silencer;
- (iii) ऐसे कट-आउट का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे साइलेन्सर में से होकर निकलने के अलावा धूआधार गैसें निकलती हों,
- (iv) fit or use any multitone horn giving a harsh, shrill, loud or alarming noise;
- (iv) वह ऐसा मल्टिटेन्शन होर्न (Multitone Horn) नहीं लगायेगा और न प्रयोग करेगा जो कटु, तीखी तेज या चौंकाने वाली आवाज करता हो,
- (v) drive a vehicle creating undue noise when in motion;
- (v) किसी यान को इस प्रकार नहीं चलायेगा, जिससे चलते समय बिनचाहा शोर पैदा होता हो,
- (vi) drive a vehicle with a muffler causing alarming sound.
- (vi) किसी यान को मफ्लर के साथ नहीं चलायेगा, जिससे चौंकाने वाली आवाज होती हो।

22. Traffic Sign and Traffic Police. -A driver of a motor vehicle and every other person using the road shall obey.- यातायात विन्ह और यातायात पुलिस-किसी मोटर यान का चालक और सड़क का उपयोग करने वाला प्रत्येक अन्य व्यक्ति-

- (a) every direction, given, whether by signal or otherwise by a police officer or any authorized person for the time being in-charge of the regulation of traffic;

- (क) किसी पुलिस अधिकारी या यातायात को विनियमित करने के लिए उस समय प्रभारी किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, चाहे संकेत (सिग्नल) से या अन्यथा, दिये गये प्रत्येक निर्देश का पालन करेगा,
- (ब) any direction applicable to him and indicated on or by notice, traffic sign or signal fixed or operated by an authority, competent to do so;
- (ग) ऐसे निर्देश का पालन करेगा, जो उस पर लागू होता है और जिसे किसी सूचना (नोटिस) यातायात चिन्ह या संकेत जो लगाया गया है या ऐसा करने के लिए सक्षम किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है, के द्वारा बताया गया,
- (क) any direction indicated by automatic signalling devices fixed at road intersections.
- (घ) सड़क के इन्टर-सेक्शन (तिराहों या चौराहों) पर लगाये गये स्वचालित संकेत युक्तियों द्वारा बताये गये किसी निर्देश का पालन करेगा।

23. **Distance from vehicles in front**—The driver of a motor vehicle moving behind another vehicle shall keep at a sufficient distance from that other vehicle to avoid collision if the vehicle in front should suddenly slow down or stop.

आगे के यानों से दूरी- एक मोटर यान का चालक जो किसी दूसरे यान के पीछे चल रहा है, उस दूसरे यान से पर्याप्त दूरी रखेगा, ताकि यदि आगे का यान अचानक धीमा हो जाये या ठहर जाये तो टक्कर लगने से बचा जा सके।

24. **Abrupt brake**-No driver of a vehicle shall apply brake abruptly unless it is necessary to do so for safety reasons.

अचानक रोक (ब्रेक) लगाना-किसी यान का कोई चालक अचानक ब्रेक का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा के कारणों से ऐसा करना आवश्यक न हो।

25. **Vehicles going uphill to be given precedence** -On mountain roads and steep roads, the driver, of a motor vehicle travelling down hill-shall give precedence to a vehicle going uphill wherever the road is not sufficiently wide to allow the vehicles to pass each other freely without danger, and stop the vehicle to the side of the road in order to allow any vehicle proceeding uphill to pass.

पहाड़ी के ऊपर की ओर जाते यानों को प्राथमिकता दी जाएगी-पहाड़ी सड़कों और खड़ी चढ़ाई वाली सड़कों पर, पहाड़ी से नीचे की ओर यात्रा करने वाले यान का चालक पहाड़ी के ऊपर की ओर जाने वाले यान को प्राथमिकता देगा, जहाँ कहीं सड़क इतनी पर्याप्त चौड़ी न हो कि यानों को बिना किसी खतरे के एक दूसरे को पार करने की पूरी छूट मिल सके और ऊपर की ओर जाने वाले किसी यान को निकल जाने के लिए ठहर जायेगा।

26. **Obstruction of driver** -A driver of a motor vehicle shall not allow any person to stand or sit or anything to be placed in such a manner or position as to hamper his control of the vehicle.

चालक को रुकावट—किसी मोटर यान का चालक किसी व्यक्ति को खड़ा होने या उठने या कोई चीज इस प्रकार या ऐसी स्थिति में रखने की अनुमति नहीं देगा, जिससे उस यान पर उसके नियन्त्रण में कोई रुकावट आती हो।

27. Speed to be restricted—The driver of a motor vehicle shall, when passing or meeting a procession or a body of troops or police on the march or when passing workmen engaged on road repair, drive at a speed not exceeding more than 25 Kilometers an hour.

गति को नियन्त्रित किया जायेगा— किसी मोटर यान का चालक, जब किसी जुलूस या सैनिक या पुलिस टुकड़ी को मार्च करते हुए मिले या पास से गुजरे या सड़क की मरम्मत में लगे मजदूरों के पास से गुजरे, तो वह पच्चीस किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक की गति से यान को नहीं चलायेगा।

28. Driving of tractors and goods vehicles—A driver when driving a tractor shall not carry or allow any person to be carried on the tractor. A driver of goods carriage shall not carry in the driver's cabin more number of persons than that is mentioned in the Registration Certificate and shall not carry passengers for hire or reward.

ट्रैक्टर्स और माल यानों को चलाना—एक चालक जब किसी ट्रैक्टर को चला रहा हो, तो वह ट्रैक्टर पर किसी व्यक्ति को न ले जायेगा या न उसे ले जाने की अनुमति देगा। माल वाहक (यान) का चालक चालक—कक्ष (केबिन) में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या से अधिक को नहीं ले जायेगा और वह किराये या पारिश्रमिक के लिए यात्रियों को नहीं ले जायेगा।

29. Projection of loads—No person shall drive in any public place any motor vehicle which is loaded in the manner likely to cause danger to any person in such a manner that the load or any part thereof or anything extends laterally beyond the side of the body or to the rear or in height beyond the permissible limit.

भार (लदान) का झुकाव (Projection of loads) — कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान को नहीं चलायेगा, जो इस प्रकार लाद दिया गया है कि उससे किसी व्यक्ति को खतरा कारित हो सकता है या इस तरीके से लाद दिया गया हो कि भार (या लदान) या उसका कोई भाग या कोई चीज बराबर में (यान का) बाड़ी की साइड से बाहर या सामने या पीछे निकल रही हो या अनुज्ञेय सीमा से अधिक ऊँचाई हो।

30. Restriction to carriage of dangerous substances— Except for the fuel and lubricants necessary for the use of the vehicle, no explosive, highly inflammable or otherwise dangerous substance, shall be carried on any public service vehicle.

खतरनाक वस्तुओं के वहन पर प्रतिबन्ध—यान के उपयोग के लिए आवश्यक ईंधन और चिकनाई (Fuel and Lubricant) के अलावा, कोई विस्फोटक, तेजी से ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ किसी सार्वजनिक सेवा यान में नहीं ले जाया जाएगा।

31. **Restriction on driving backwards** -No driver of a motor vehicle shall cause the vehicle to be driven backwards without first satisfying himself that he will not thereby cause danger or undue inconvenience to any person or in any circumstances, for any greater distance or period of time than may be reasonably necessary in order to turn the vehicle round. पीछे की ओर (उल्टा) चलाने पर प्रतिबन्ध – किसी मोटर यान का चालक उस यान को इस बात का स्वयं समाधान किये बिना कि इस प्रकार से वह किसी व्यक्ति को कोई खतरा या अनावश्यक असुविधा कारित नहीं करेगा या किसी भी दशा में यान को घुमाने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक से अधिक लम्बी दूरी या समय के लिए पीछे की ओर (बैकवर्ड्स) नहीं चलायेगा।

32. **Production of documents - A person driving a vehicle-**

प्रलेखों (दस्तावेजों) का प्रस्तुतीकरण—कोई व्यक्ति जो यान को चला रहा है—

- (i) shall always carry with him his Driving Licence; Certificate of Registration; Certificate of Taxation and certificate of Insurance of the vehicle and in case of transport vehicle the permit and Fitness Certificate, also;
- (i) अपनी चालन अनुमति (ड्राइविंग लाइसेंस) और यान का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, कराधान (टैक्सेशन) का प्रमाणपत्र और बीमा प्रमाणपत्र और परिवहन यान के मामले में परमिट और उपयुक्ता, (ठीक हालत में होने का) प्रमाणपत्र भी सदा अपने साथ ले जायेगा (रखेगा)।
- (ii) shall on demand by police officer in uniform or an officer of the Motor Vehicles Department in uniform or any other officer authorised by the Government, produce the documents for inspection:
- (ii) वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या वर्दीधारी मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के मांगने पर इन प्रलेखों को निरीक्षण के लिए पेश करेगा। (परन्तु यह है कि –जहां कोई या सभी प्रलेख (दस्तावेज) उसके पास (कब्जे) में नहीं हैं, तो वह मांग से 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से (उन) प्रलेखों के किसी पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य अधिकारी से सम्यक् रूप में सत्यापित दस्तावेज का अंश (Extract) या के अंश प्रस्तुत करेगा या उस अधिकारी को जिसने वे प्रलेख मांगी हैं, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा।

[Provided that where any or all of the documents are not in his possession, he shall produce in person an extract or extracts of the documents duly attested by any police officer or by any other officer or send it to the officer who demanded the documents, by registered post, within 15 days of the demand.]

33. **Every driver must be conversant with the provisions of Section 112, 113, 121, 122, 125, 132, 134, 185, 186, 194 and 207 of the Motor Vehicles Act, 1988.**

प्रत्येक चालक मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112, 113, 121, 122, 125, 132, 134, 185, 186, 194 और 207 के उपबन्धों से परिचित होगा।